न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मा नम्बर 197/2025 दायर दिनांक–04.08.2025

1. महेश चंद पुत्र प्रभाताराम जाति मेघवाल निवासी भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

–वादी

बनाम

1. अश्विनी पुत्र लोकनाथ
2. अशोक कुमार पुत्र माधोप्रसाद
3. कृष्ण कुमार पुत्र माधोप्रसाद
4. कृष्ण कुमार बंशीधर
5. गिरिश कुमार पुत्र नन्दलाल
6. गोपाल पुत्र मोहनलाल
7. गोविन्द पुत्र सागरमल
8. घनश्याम पुत्र द्वारका प्रसाद
9. चन्द्रकांत पुत्र बंशीधर
10. जगदीश प्रसाद पुत्र नन्दलाल
11. पूर्णेन्द्र पुत्र बंशीधर
12. प्रभाकर पुत्र सागरमल
13. बसन्त पुत्र जोधराज
14. प्रवीण पुत्र द्वारका प्रसाद15. बसन्त पुत्र मोहनलाल
15. महेन्द्र पुत्र मदनलाल
16. मोतीलाल पुत्र नन्दलाल
17. योगेश पुत्र झाबरमल
18. योगेश कुमार पुत्र जोधराज
19. रमाकान्त पुत्र झाबरमल
20. वीणा पुत्री झाबरमल
21. श्रीकान्त पुत्र झाबरमल
22. सज्जन पुत्र श्यामसुन्दर
23. संजीव कुमार पुत्र भगवती प्रसाद
24. संजीव कुमार पुत्र शिवप्रसाद
25. सत्यवृत पुत्र मोहनलाल
26. सुधाकर पुत्र सागरमल
27. संदीप कुमार पुत्र शिवप्रसाद
28. सुशील कुमार पुत्र मधुसुदन
29. हेमन्त पत्र बंशीधर
30. हरिप्रसाद पुत्र जोधराज समस्त जाति महाजन निवासीगण भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)
31. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:56 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी : – **श्री सज्जन कुमार चाहर**
वकील प्रतिवादी :– **एकपक्षीय**

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

दावा बाबत घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक–19.11.2025

वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– ग्राम भोजनगर पटवार हल्का टोंकछिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 99 पुराना 30 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं0 416, 419, 421, 422, 423, 428, 429, 430, 431, 432 कुल किता 10 कुल रकबा 4.9700 है० वादी का विवाद भूमि खसरा नम्बर 419 रकबा 0.29 है०, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 422 रकबा 0.5900 है०, खसरा नम्बर 423 रकबा 0.8000 है०, खसरा नम्बर 428 रकबा 0.1000 है०, खसरा नम्बर 429 रकबा 0.2400 है०, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.200 है० कुल किता 7 कुल रकबा 2.25 है0 का ही विवाद है जिसको आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से दर्ज व संबोधित किया गया है।

उपरोक्त खसरा नम्बरान 419 रकबा 0.29 हैं०, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 422 रकबा 0.5900 है०. खसरा नम्बर 423 रकबा 0.8000 है०, खसरा नम्बर 428 रकबा 0.1000 है०, खसरा नम्बर 429 रकबा 0.2400 है०, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.200 है० कुल किता 7 कुल रकबा 2.25 है० भूमि वादी के पिता प्रभाताराम ने प्रतिवादीगण से दिनांक 10.07.1962 को 19.00/–रूपये में खरीदी थी तथा बही व स्टाम्प पेपर पर लिखापढी करवाकर वादी के पिता एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवाकर वादी के पिता को कब्जा सौंप दिया था तथा उसी दिन से वादी के पिता ने इस भूमि पर शांतिपूर्वक अपना कब्जा काश्त चालू कर दिया। जो निर्विवाद रूप से आज दिनांक तक 62 वर्षों से वादी के पिता का व वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात वादी का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है व उक्त भूमि पर पक्के मकान बना रखे है तथा ट्यूबवैल भी लगा रखा है जिस पर विद्युत कनेक्शन भी चालू कर रखा है। वादी ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ व्यक्ति होने के कारण वादी ने उक्त विवादित भूमि की रजिस्ट्री नही करवाई थी क्यों कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में प्रेम व विश्वास था। उक्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है मौके पर कब्जा काश्त व रहना वादी का ही है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड उपरोक्त खसरा नम्बरान 419 रकबा 0.29 हैं०, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 422 रकबा 0.5900 है०. खसरा नम्बर 423 रकबा 0.8000 है०, खसरा नम्बर 428 रकबा 0.1000 है०, खसरा नम्बर 429 रकबा 0.2400 है०, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.200 है० कुल किता 7 कुल रकबा 2.25 है० भूमि वादी के पिता प्रभाताराम ने प्रतिवादीगण से दिनांक 10.07.1962 को 19.00/–रूपये में खरीदी थी तथा बही व स्टाम्प पेपर पर लिखापढी करवाकर वादी के पिता एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवाकर वादी के पिता को कब्जा सौंप दिया था तथा उसी दिन से वादी के पिता ने इस भूमि पर शांतिपूर्वक अपना कब्जा काश्त चालू कर दिया। जो निर्विवाद रूप से आज दिनांक तक 62 वर्षों से वादी के पिता का व वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात वादी का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है व उक्त भूमि पर पक्के मकान बना रखे है तथा ट्यूबवैल भी लगा रखा है जिस पर विद्युत कनेक्शन भी चालू कर रखा है। वादी ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ व्यक्ति होने के कारण वादी ने उक्त विवादित भूमि की रजिस्ट्री नही करवाई थी क्यों कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में प्रेम व विश्वास था। उक्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है मौके पर कब्जा काश्त व रहना वादी का ही है परन्तु राजस्व रिकॉर्डप्रतिवादीगण के नाम दर्ज चला आ रहा है। इसलिए वादी ने अपने हिस्से की घोषणा करवाने व राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इन्द्राज करवाने के लिए उक्त याद बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती का श्रीमानजी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ।

वादी का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है अगर वादी का वाद बाबत घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं किया जाता है तो वादी को भंयकर हकतलफी होगी जिसका खामियाजा किसी भी सुरत में संभव नही होगा तथा आगे से आगे मुकदमे बाजी बढ़ती जायेगी तथा समय व धन की बर्बादी होगी।

उक्त वाद के लिए वादकारण दिनांक 25.07.2025 को वादी [illegible] रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की ओर राजस्व रिकॉर्ड की नकल में प्रतिवादीगण का [illegible] चलने के रोज से वादी को वादकारण उत्पन्न हुआ।

विवादित काश्त की भूमि ग्राम भोजनगर पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में अवस्थित है जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण श्रीमान को यह दावा सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी नं. 32 भूमि धारक है जो लोक सेवक है और लोक सेवक को किसी भी मुकदमें में पक्षकार बनाया जाता है तो उसको दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना अनिवार्य होता है लेकिन मामला अर्जेन्ट नेचर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:56 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

है इसलिए प्रतिवादी संख्या 32 को पक्षकार बनाये जाने की अनुमति के लिए वाद पत्र के साथ अं. धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। जो वाद पत्र के साथ संलग्न है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि :– वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी बहक प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे कि ग्राम भोजनगर पटवार हल्का टौंकछिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 99 पुराना 30 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बरान 419 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 422 रकबा 0.5900 है0, खसरा नम्बर 423 रकबा 0.8000 है0, खसरानम्बर 428 रकबा 0.1000 है0, खसरा नम्बर 429 रकबा 0.2400 है0, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.200 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.25 है0 का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें तथा इस आदेश की तहरीर प्रतिवादी नं. 32 को जारी की जावें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु महेशचंद्र, गोपेश व सम्पलाल के चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, प्रदर्श 2 नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 3 असल इकरारनाम आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी सम्वत् 2075–78 द्वारा ग्राम भोजनगर पटवार हल्का टौंकछिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 99 पुराना 30 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बरान 419 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 422 रकबा 0.5900 है0, खसरा नम्बर 423 रकबा 0.8000 है0, खसरानम्बर 428 रकबा 0.1000 है0, खसरा नम्बर 429 रकबा 0.2400 है0, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.200 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.25 है0 भूमि स्थित होना प्रमाणित है। इकरारनामा बाबत भूमि बेचान में स्पष्ट अंकित है कि उक्त भूमि को प्रतिवादीगण से वादी के पिता द्वारा क्रय कर लिया गया था। जिससे भूमि जरिये इकरारनामा विक्रय किया जाना प्रमाणित होता है। गवाह श्री महेशचंद्र, गोपेश व सम्पलाल ने अपने सपथ पत्रों में कथन किया गया है कि उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि को वादी के पिता द्वारा क्रय किया गया था तथा क्रय किये गये रोज से ही उक्त भूमि पर वादी व वादी के पिता का कब्जा काश्त रहा है। वादी द्वारा उक्त भूमि जरिये ईकरारनामा से क्रय किया जाना प्रमाणित है तथा कब्जा काश्त भी क्रय के रोज से वादीगण व उनके पूर्वजों का होना प्रमाणित है। तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट से भी उक्त भूमि पर वादी का कब्जा होना प्रमाणित है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का वाद आज तक पेश नही किया है जिससे स्पष्ट है कि वादी का आज तक प्रतिवादीगण की सहमति से शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण की ओर से वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति पेश नही की है। ऐसी स्थिति में जहां प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार कर लिया है एवं दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद शेष नही रहा है, वहां न्यायालय को राजस्व हानि/कर चोरी का पक्ष देखना आवश्यक है। वादी द्वारा अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं कब्जा काश्त अनुसार पूर्णतया साबित पाया गया है। उभय पक्ष की सहमति को देखते हुए न्यायालय राय में उक्त प्रकरण कर अपवंचन का प्रतीत होता है अतः वाद वादी राजस्व हानि के दृष्टि से सशर्त वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से उक्तानुसार स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

लिहाजा वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क अदा करने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम भोजनगर पटवार हल्का टौंकछिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 99 पुराना 30 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बरान 419 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 422 रकबा 0.5900 है0, खसरा नम्बर 423 रकबा 0.8000 है0, खसरानम्बर 428 रकबा 0.1000 है0, खसरा नम्बर 429 रकबा 0.2400 है0, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.200 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.25 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:56 IST
Reason: SelfAttested

तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 19.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट ट्रैक) नवलगढ़
नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:56 IST
Reason: SelfAttested

(ऑ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा, दुरूस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा सं0:– 197 / 2025 (महेश चंद्र बनाम अश्विनी आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 19.11.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। लिहाजा वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क अदा करने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम भोजनगर पटवार हल्का टॉकछिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 99 पुराना 30 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बरान 419 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 422 रकबा 0.5900 है0, खसरा नम्बर 423 रकबा 0.8000 है0, खसरानम्बर 428 रकबा 0.1000 है0, खसरा नम्बर 429 रकबा 0.2400 है0, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.200 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.25 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 19.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19.11.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रै.) नवलगढ
ए.सी.एफ.टी. (फा.ट्रै.)
नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:56 IST
Reason: SelfAttested